

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 06/सन—2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

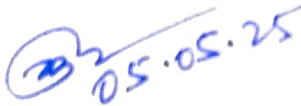
आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05.05.2025	—:आदेश:— यह विविध वाद अभिलेख सं०— 06/2025— 26 आवेदक अली मोहम्मद, पिता— चेतु मियां, साकिन— चुंजखो, थाना—परसन ओ० पी० धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा चुंजखो, थाना नं०— 256 के अन्दर रैयती खाता सं०— 05 का भूमि है। जिसका सर्वे खतियान पलटु मियां वल्द कंगलु मियां के नाम से इन्द्राज है। खतियान की छायाप्रति, लगान रसीद, जो खतियानी रैयत के वंशज डीलों मियां वगैरह के नाम से निर्गत है, की दो छायाप्रति, खतियानी वंशज के वंशावली संबंधी शपथ पत्र सं०— 126, दिनांक— 07.04.2025 की मूल प्रति, मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली की मूल प्रति संलग्न है। आवेदनकर्ता अली मोहम्मद ने आवेदित किया है कि मौजा— चुंजखो, थाना नं०— 256, खाता सं०— 05 का खतियानी रकवा— 13.24 एकड़ के मध्ये आधा ($\frac{1}{2}$) हिस्सा = 6.62 एकड़ हिस्सा मेरा है। जिसमें बिक्री की गई भूमि 1.65 एकड़ है। बिक्री के पश्चात 4.97 एकड़ भूमि शेष बची है। शपथ पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता ने शपथ किया है कि शेष बची भूमि 4.97 एकड़ भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। संबंधित भूमि का किसी भी न्यायालय में मामला लंबित नहीं है। आवेदनकर्ता ने शेष बची भूमि 4.97 एकड़ की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने की मांग की है। संलग्न शपथ पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता ने शपथ किया है कि उक्त भूमि की जमाबंदी कायम करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में आपत्ति मान्य होगी। आवेदन के साथ लगान रसीद संलग्न है। हल्का में उपलब्ध पंजी— II भाग सं०— II क्षतिग्रस्त है। उन्होंने आगे प्रतिवेदित किया है कि हिस्सेदारों की आपसी सहमति पत्र संलग्न करने, अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन संलग्न कर दखल — कब्जा सत्यापित करने के पश्चात नियमानुसार जमाबंदी कायम करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 5, श्री कंचन कुमार/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार 4.95 एकड़ भूमि पर जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों का दखल है। जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों ने पुनः शपथ पत्र सं०— 156, दिनांक— 02.05.2025 के माध्यम से शपथ पूर्वक बयान दिया है कि अमीन मापी के पश्चात उनलोगों का 4.95 एकड़ भूमि पर ही दखल — कब्जा पाया गया है। अतः उनलोगों ने भौतिक जमाबंदी की 4.97 एकड़ भूमि के स्थान पर दखल — कब्जा के आधार पर 4.95 एकड़ भूमि का ही ऑनलाईन पंजी— II में जमाबंदी दर्ज करने का अनुरोध किया है। साथ ही जमाबंदी रैयत के सभी जीवित वारिशानों ने यह भी शपथ पूर्वक बयान दिया है कि 4.95 एकड़	

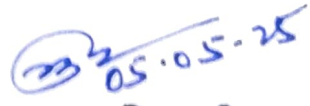
भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी- ॥ में कायम करने से उनलोगों को कोई आपत्ति नहीं है और भविष्य में कोई आपत्ति करेंगे तो वो अमान्य होगा।

वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी- ॥ में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 5, श्री कंचन कुमार/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी- सह-दखल- कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद एवं शपथ पत्र सं०- 156, दिनांक- 02.05.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- चुंजखो/256 के ऑनलाईन पंजी- ॥ में खाता सं०- 03, प्लॉट नं०- 21, 81, 735 एवं अन्य, कुल रकवा- 4.95 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनवार।


अंचल अधिकारी,
धनवार।